निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

(बईजलास पीठासीन अधिकारी बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 109 / 2022 ई0रे0

निर्णय दिनांक :– 13.02.2023

उनवान

श्रीमति गंगा पिता तेजा पत्नी केशुराम मीणा नि.रातीतलाई हा.ल.रानीमालिया तह. बड़ीसादड़ी

–वादीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूमीधारी तहसीलदार साहब बड़ीसादड़ी

–प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीया ने एक वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 आर.टी.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा बान्सी तह0 बड़ीसादड़ी चित्तौडगढ़ मे आराजी नं. 764 रकबा 18 बिस्वा, आराजी नं. 765/1 रकबा 16 बिस्वा, आराजी नं. 766 रकबा 1 बिगा 8 बिस्वा योग 3 बिगा 2 बिस्वा स्थित है जिसका खातेदार ऊंकार पिता तेजा मीणा है। कि आराजी नं. 765 रकबा 2 बिगा 16 बिस्वा मे से उंकार ने उक्त आराजी का 2 बीघा मोड़ा पिता भगवाना को विक्रय कर दिये जाने से 16 बिस्वा जमीन ही उॅकार के खाते में शेष रही है। उॅकार को वाद पत्र की कलम नं. 1 में वर्णित आराजी अपने पिता तेजा से बतौर विरासत में प्राप्त हुई है तथा तेजा खातेदार बना है। उॅकार के कोई जाईन्दा लडका लडकी नही है तथा उॅकार खातेदार ने अपने जीवनकाल में आराजी बाबत् किसी को भी वसीयत निष्पादित नही की तथा उॅकार व उॅकार की पत्नी मु0 खेतड़ी भी मर गई है। उॅकार के परिवार मे एक मात्र वारीस तेजा था व उॅकार की बहन गंगाबाई है जो जीवित है तथा तेजा की जमीन पर काबिज हो बहैसियत खातेदार कास्त कर रही है। वाद पत्र की कलम नं. 1 में वर्णित आराजी के मूल खातेदार तेजा था तथा तेजा के परिवार मे एक मात्र वारीस तेजा की पुत्री गंगाबाई जो वादिया बची है जो उक्त आराजी पर कास्त कर रही है तथा विधिक वारीस होने से वादीया को खातेदारी अधिकार की घोषणा की डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी है। अतः वाद पेश कर निवेदन हैं प्रस्तुत वाद पत्र अनुसार सादिर डिग्री फरमाई जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन से तलब किया गया। जिसमें प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादीया ने गवाह पेश किये जिससे आधार पर न्यायालय ने दिनांक 04/08/2016 को वादीया के वाद को डिकी किया गया। उक्त निर्णय एवं डिकी से असन्तुष्ट होकर रूपलाल पिता रोड़ा रावत मीणा, नारायणी पत्नि रूपलाल रावत मीणा दोनो निवासी राती तलाई बानसी ने अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ़ के यहां पर प्रस्तुत की जो प्रकरण संख्या 438/2016/डिकी [illegible] 2017 को निर्णित की कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड [illegible] कन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने [illegible] बनाया गया है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर [illegible] न्यायालय [illegible] खण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 251/2013 दिनांक 04/08/2016 [illegible] अधीनस्थ [illegible] का प्रकरण विस्तृत सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करने [illegible] प्रतिप्रेषित किया जात[illegible] किया तथा मूल पत्रावली सुनवाई हेतु भिजवाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.03.24 14:22:36 IST
Reason: SelfAttested

वादीया गंगाबाई ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् प्रकरण पुनः दर्ज कर सुनवाई कराने एवं माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ़ के द्वारा जारी निर्णय की प्रति

के साथ पेश किया। जिससे वादीया के प्रार्थना पत्र पर वाद पत्र को पुनः नम्बर पर लिया जाकर दर्ज रजिस्टर किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दीयों तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चितौडगढ़ के निर्णय दिनांक 26/10/2017 का ससम्मान एवं आदरपूर्वक अवलोकन किया जिसमें सभी सहखातेदारान् को पार्टी नही बनाया गया है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 251/2013 दिनांक 04/08/2016 अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण विस्तृत सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया। मेरे द्वारा वाद पत्र के साथ संलग्न जमाबन्दी खाता संख्या 35 का अवलोकन किया जिसमें वादग्रस्त आराजी ऊंकार पिता तेजा मीणा के नाम पर दर्ज है जिसमें कोई सहखातेदार नही है। इसलिये प्रकरण में पूनः राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी को नोटिस जारी किया जावे आदेश दिया। जिसमें प्रतिवादी तहसीलदार बड़ीसादड़ी का नोटिस बाद तामील प्राप्त हुआ। बरोज पेशी प्रतिवादी अनुपस्थित रहे किन्तु उनकी ओर से पूर्व में जवाब प्रस्तुत कर रखा है इसलिये उक्त पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत की गई।

शहादत वादीया में शपथ पत्र पी.डब्लू 1 वादीया श्रीमति गंगाबाई का पेश किया जिस पर प्रदर्श डाले गये। गवाह शपथ पत्र पी.डब्लू 2 लालसिह का शपथ पत्र पी.डब्लू 3विरम सिह शपथ पत्र पी.डब्लू 4 रूपसिह के शपथ पत्र प्रस्तुत हुये।

वकील वादीया की बहस सुनी गई। वकील वादीया ने वाद में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित मौजा बान्सी तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौडगढ़ मे आराजी नं. 764 रकबा 18 विस्वा, आराजी नं. 765/1 रकबा 16 विस्वा, आराजी नं. 766 रकबा 1 बिगा 8 विस्वा योग 3 बिघा 2 बिस्वा स्थित है जिसका खातेदार मेरा भाई ऊंकार पिता तेजा मीणा है। उक्त भूमि के भू प्रबंधक मिलान क्षेत्रफल अनुसार नवीन आराजी खसरा नं. 1016 मीन रकबा 0.1000 है0, आराजी नं. 1017/1543 रकबा 0.1800है0, आराजी नं. 1018 रकबा 0.3000 है0 भूमि बने जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया के भाई ऊंकार पिता तेजा मीणा के नाम पर खातेदारी में दर्ज है। एवं आराजी नं. 765 रकबा 2 बिगा 16 विस्वा मे से ऊंकार ने उक्त आराजी का हिस्सा 2 बीगा मोड़ा पिता भगवाना को विक्रय कर दिये जाने से 16 विस्वा जमीन ही ऊंकार के खाते में शेष रही है। तथा शंकर सिंह जी को भी विक्रय की उसके बाद वादीया के भाई उंकार के नाम पर वर्तमान आराजी नं. 1016 मीन, 1017/1543, 1018 कुल किता 3 कुल रकबा 0.5800 है0 भूमि उंकार के रही जो उसके नाम पर दर्ज है उक्त भूमि ऊंकार को तेजा जी की मृत्यु के बाद विरास्त से प्राप्त हुई है। ऊंकार के कोई जायन्दा लड़का लड़की नही है तथा ऊंकार ने अपने जीवनकाल में आराजी बाबत् किसी को भी वसीयत निष्पादित नही की तथा ऊंकार व ऊंकार की पत्नी मु0 लाली भी मर गई है। मूल पुरूष तेजा जी थे जिनके एक पुत्र ऊंकार व पुत्री जमनी, गंगा, थी।, तेजा जी एवं माता श्रीमति खेतड़ीबाई का स्वर्गवास हो गया। एवं ऊंकार के कोई पुत्र व पुत्री नही थे निः सन्तान था, उसकी पत्नी लाली का भी स्वर्गवास हो गया।, एवं वादीया की बहिन श्रीमति जमनी थी उसके भी कोई पुत्र व पुत्री नही है वो भी लाऔलाद फोत हो गई। इस प्रकार तेजा जी एवं ऊंकार जी की एकमात्र वारिस वादीया। एवं स्व0 तेजा जी की जायन्दा पुत्री व ऊंकार जी की सगी बहिन हैं। तेजा जी की जमीन पर तेजा जी के समय से वादीया काबिज होकर बहैसीयत खातेदार काश्त करती चली आ रही है। तेजा जी एवं उँकार जी के परिवार मे एक मात्र वारिस तेजा जी की पुत्री वादीया बची है जो उक्त आराजी पर काश्त कर रही है तथा पूर्व मे तहसीलदार बड़ीसादड़ी से वारिसान सम्बंधी रिपोर्ट तलब की गई जिसमें तहसीलदार बड़ीसादड़ी ने वारिसान् की रिपोर्ट [illegible] जी की मृत्यु होना तथा उनके एक पुत्र ऊंकार तथा पुत्री जमनी के लाऔलाद [illegible] किया हैं। गंगा बाई जीवित होना अंकित किया है जिससे भी [illegible] है कि [illegible] एवं ऊंकार जी की एक मात्र विधिक वारिस वादीया होने से उक्त [illegible] वादीया के नाम पर कराई जाकर वादीया का नाम राज[illegible] जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है। वाद पत्र प्रस्तुत वाद के अनुसार पुर्व में आ.न. के [illegible] नम्बर होने के नई जमाबन्दी की नकल प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार वादीया का वाद डिक्री किया जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.03.24 14:22:36 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया तथा अधिवक्ता वादीया की बहस पर चिन्तन व मनन किया। वादीया की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श दस्तावेजों तथा तहसीलदार बड़ीसादड़ी द्वारा प्रस्तुत वारिसान् सम्बंधी जांच रिपोर्ट से यह सिद्ध होता है कि वादग्रस्त आराजीयात् वर्तमान में उंकार पिता तेजा मीणा के खातेदारी में दर्ज होना एवं खातेदार का लाऔलाद फोत होना एवं वारिसान की रिपोर्ट की जांच के अनुसार एक मात्र सजरे में अंकित वादिया गंगाबाई ही वारिस होना बताया हैं। गवाहो के शपथ से भी इसी बात की पुष्टि होती है। जिससे यह सिद्व होता हैं कि एक मात्र वारिस ही गंगागाई ही हैं समग्र विश्लेषण से वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः उपर्यूक्त विवेचन के आधार पर वादीगया का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बानसी की आराजी खसरा नं. 1016मी.,1017/1543,1018 कुल किता 03 रकबा 0.58 हैक्टर भुमि वादिया गंगा बाई पिता तेजा पत्नी केशुराम मीणा के नाम खातेदारी में घोषित की जाती है। इसी आश्य का पर्चा डिग्री अलग से मुर्तिब किया जावें।

निर्णय सरे ईजलास लिखाया जाकर आज दिनांक 13.02.2023 को सुनाया गया।

बिन्दुबाला राजावत(आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.03.24 14:22:36 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

सुश्री बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 109/2022 वादपत्र धारा 88 आर.टी.एक्ट.

गंगा पिता तेजा पत्नी केशुराम मीणा नि. रातीतलाई हा.मु. रानीमालिया तह. बडीसादडी

– वादीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

–प्रतिवादी

वादी की ओर से वकील अनिल सोनावा तथा प्रतिवादी की ओर से x पार्टी की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा बांसी की आराजी खसरा नं. 1016 मी., 1017/1543, 1018 कुल किता 3 रकबा 0.58 हैक्ट. भूमि वादिया गंगा बाई पिता तेजा पत्नी केशुराम मीणा के नाम खातेदारी में घोषित की जाती है।

इस वाद के खर्चे....x.... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित....x... को दी जावे।

यह आज दिनांक 13.02.2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

मोहर

(बिन्दु बाला राजावत)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2023/29 दिनांक 13.2.23

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

(बिन्दु बाला राजावत)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.03.24 14:22:36 IST
Reason: SelfAttested